भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2573
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **कृषि योजनाएँ और डिजिटल अवसंरचना**

2573. श्री लालजी वर्माः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंबेडकर नगर में वर्ष 2025-26 के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत किसी तकनीकी बाधा के बिना लाभप्राप्त करने वाले पंजीकृत किसानों तथा भूमि अभिलेखों में विसंगतियों के कारण लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण और उर्वरकों तथा बीजों की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस बात का डेटा है कि कितनी पीएसीएस ने वास्तव में बहुउद्देशीय सेवाएं शुरू कर दी हैं तथा अंबेडकर नगर के छोटे किसान इससे किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं; और

(घ) क्या डिजिटल बुनियादी अवसंरचना की कमी और नौकरशाही की जटिलताओं के कारण इन योजनाओं से सीमांत किसानों को वंचित करने के संबंध में कोई समीक्षा की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : भारत सरकार ने योजना के प्रारम्भ से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से लाभार्थियों को ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि संवितरित की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले में लाभान्वित लाभार्थियों का किस्त-वार विवरण इस प्रकार है:

किस्त	लाभान्वित लाभार्थी	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)
20वीं किस्त (अप्रैल '25 - जुलाई '25)	3,70,416	79.55
21वीं किस्त (अगस्त '25 - नवंबर '25)	3,50,285	70.09
22वीं किस्त (दिसंबर '25 - मार्च '26)	3,51,145	70.23

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले में, दिनांक तक, 2910 ऐसे किसान हैं जिन्हें भूमि अभिलेखों से संबन्धित आवश्यक शर्तों की पूर्ति न होने के कारण लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

(ख): सरकार सम्पूर्ण भारत में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम' (एमआईएसएस) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जो केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित स्कीम है। इस स्कीम का उदेश्य सभी किसानों को कृषि और संबद्ध कार्यकलापों लिए कार्यशील पूंजी की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4% की प्रभावी ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक का आसान और किफ़ायती ऋण प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान एमआईएसएस के तहत 18,366.80 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी (आईएस और पीआरआई) संवितरित की गई है।

प्रत्येक फसल सीजन की शुरुआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके, राज्य-वार और माह-वार खाद की ज़रूरत का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग (डीओएफ) राज्यों को खाद की पर्याप्त मात्रा आवंटित करने के लिए मासिक आपूर्ति योजना जारी करता है और इसकी उपलब्धता पर लगातार नज़र रखता है। राज्य के भीतर ज़िला या ब्लॉक स्तर पर खाद का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, खरीफ 2026 सीज़न के दौरान देश में जारी यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे फर्टिलाइज़र की उपलब्धता पर्याप्त रही है। दिनांक 29.07.2026 तक, पूरे देश में मुख्य फर्टिलाइज़र यूरिया 177.27 एलएमटी, डीएपी 43.03 एलएमटी, एमओपी 14.31 एलएमटी और एनपीकेएस 88.93 एलएमटी की उपलब्धता रही।

बीजों की उपलब्धता के बारे में, राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देशभर में मौजूदा खरीफ 2026 सीज़न के दौरान 173.25 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में 193.24 लाख क्विंटल प्रमाणित/अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हैं।

(ग): प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान सहित मुख्य रूप से ग्रामीण समुदायों की ऋण और दूसरी अवश्यकताओं को पूरा करती है। मॉडल उप-नियमों के लागू होने से, पैक्स को 25 से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों; जैसे कि उर्वरक वितरण, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) संचालन, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) संचालन, पेट्रोल/डीज़ल के रिटेल आउटलेट, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, सोलर रूफ़-टॉप इंस्टॉलेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउसिंग और किसान केंद्रित सेवाओं के संचालन के माध्यम से अपने बिज़नेस की गतिविधियों में विविधता लाने में मदद मिली है जिससे उनके सदस्यों को मिलने वाली सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा है। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस (एनसीडी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले में 111 सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) हैं।

(घ) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक जटिलताओं जैसे मुद्दों सहित पीएम-किसान स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं। स्व-पंजीकरण, लाभ की स्थिति की जानकारी तथा फेस ऑथेन्टिकेशन आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित पीएम-किसान पोर्टल एवं मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। पीएम-किसान स्कीम को 'किसान आईडी' से भी एकीकृत किया गया है, जो हर किसान के लिए एकल और सत्यापित पहचान है। पंजीकरण और ई-केवाईसी जैसी सुविधाएँ देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, विलेज नोडल ऑफ़िसर्स (वीएनओ) भी किसानों को ई-केवाईसी की सुविधाएँ देते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमांत किसानों सहित कोई भी पात्र किसान छूट न जाए, भारत सरकार राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के समन्वय से संतृप्ति अभियान चलाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश भी समय-समय पर ऐसे अभियान चलाते हैं ताकि योजना की सभी ज़रूरी शर्तों को पूरा करने वाले पात्र किसानों की पहचान की जा सके और उन्हें योजना में शामिल होने में मदद मिल सके।
